

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 22.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Smt. Sampatiya Uikey** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 782 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	आयुष श्रीवास्तव	स्व. श्री गणेश श्रीवास्तव MOB- 9301873889	8	मण्डला
2	सामर्थ्य गुप्ता	श्री अनिल कुमार गुप्ता MOB- 9713719300	1	मण्डला
3	धनंजय तिवारी	श्री राजन कुमार तिवारी MOB- 7000623266	8	मण्डला
4	आशी शर्मा	श्री आशीष शर्मा MOB- 9425850188	8	मण्डला
5	आदित्य विक्रम मिश्रा	श्री। पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा MOB- 8319068155	3	अनूपपुर
6	समर सिंह चौहान	श्री यशवंत सिंह MOB- 7389369729	3	न.2 भोपाल
7	राघवेन्द्र दुबे	श्री अरविन्द कुमार दुबे MOB- 9425864094	6	न.1 GCF जबलपुर
8	अंशिका राय	श्री हंसराम राय MOB- 7644615740	3	सिवनी
9	शिखर वैरागी	श्री जय कुमार वैरागी MOB- 9977058787	9	मण्डला
10	अभिषेक गोल्हानी	श्री दिनेश गोल्हानी MOB- 9407556635	2	न.5 CRPF बंगरसिया

दिनांक 22/08/2020

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया 01/08/2020/XX  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Smt. Sampatiya Uikey माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, BHOPAL & JABALPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

Pr.